भा. कृ. अनु. प., भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान,
अनुसंधान केन्द्र, कोटा–324002 (राजस्थान)

ठेकेदार/वेब साईट हेतु विस्तृत विवरण

खुली नीलामी (सील बन्द लिफाफे के द्वारा) की शर्ते

भा.कृ.अनु.प.–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोटा जो कि डडवाड़ा कोटा जंक्शन पर स्थित है में 200 आंवले के वृक्षो के फलो के लिये खुली नीलामी (Open Auction) सील बन्द लिफाफे में आंमत्रित की जाती है, जिसकी की अन्तिम तारीख 05.10.2022 है। इस नीलामी की नियम व शर्ते निम्न प्रकार से है :–

1. बोली राशि सील बन्द लिफाफे के द्वारा दिंनाक 05.10.2022 को 3.00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेगें। सील बन्द लिफाफे केन्द्र पर प्राप्त होने की अन्तिम तिथि 05.10.2022 है। इच्छुक ठेकेदार वृक्षो के क्षेत्र का निरीक्षण छुटटी के दिनो को छोड़कर प्रातः 10.00 बजे से सांय 04.30 बजे तक पूर्व लेकर कर सकते है तथा बोली के लिफाफे खोलने वाले दिन दिंनाक 05.10.2022 सांय 4.00 बजे उपस्थित रह सकते है।

2. नीलामी का कार्य केन्द्राध्यक्ष, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, कोटा द्वारा मनोनीत समिति के अधिकारी सम्पन्न करायेगे । उनका अधिकार होगा कि यदि बोली बोलने वालो की सील बंद लिफाफो की संख्या 03 से कम होगी तो नीलामी की तिथि को आगे बढाते हुए अन्य किसी कार्य दिवस में की जायेगी ।

3. नीलामी का प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करने वाले को सर्वप्रथम रू. **10,000/–** अमानत राशि के रूप में डिमान्ड ड्राफट जो कि Officer-In-Charge,CSWCRTI, KOTA, भारतीय स्टेट बैंक में देय बन्द लिफाफे में दी गई दर के साथ जमा कराना होगा। इसके पश्चात् ही उनके प्रस्ताव को नीलामी में शामिल किया जायेगा । लिफाफो को खोलने एवं अनुमोदन के पश्चात् अधिकतम बोली दाता को कुल राशि का आधा भाग कार्यालय में जमा करवाना होगा। शेष राशि दिंनाक 19.10.2022 से पूर्व कार्यालय में जमा करवानी होगी। राशि पैसा जमा नही करवाने पर बोली को निरस्त करते हुए अमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

4. एक अमानत राशि के लिये डिमांड ड्राफट के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।

5 सील बन्द लिफाफे के द्वारा नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा तथा नीलामी उनके पक्ष में की जायेगी ।

6 असफल बोलीदाता को ई.एम.डी/अमानत राशि का डिमान्ड ड्राफट वापस कर दिया जायेगा।

7. सक्षम अधिकारी द्वारा आंवला फलो की न्यूनतम आरक्षित मूल्य राशि निश्चित की गई हैं, जिसे बन्द लिफाफे में सुरक्षित रखा गया है । आरक्षित राशि से अधिक राशि की बोली ही मान्य होगी।
8. सफल बोलीदाता को 15 दिन पश्चात् या दिंनाक 19.10.2022 से पूर्व कार्यालय में शेष राशि को जमा करवाना होगा। अमानत राशि को नीलामी राशि में समायोजित किया जा सकता है।
9. कार्यालय द्वारा अनुमति आदेश जारी होने के पश्चात् ही आंवला फलो को तोडकर ले जाने की अनुमति होगी। यह समयावधि माह फरवरी, 2023 तक मान्य होगी।
10. आंवला वृक्षो के फलो को कार्यालय समयावधि में ही सम्बन्धित अधिकारी व कर्मचारी की देख रेख में ले जाना होगा। आंवला के बगीचे में सिंचाई एवं सफाई करने का जिम्मा ठेकेदार का होगा। हांलाकि पानी केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा। परन्तु किसी तकनीकी खराबी के कारण पानी उपलब्ध करवाने में हुई देरी के लिये केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।
11. चौकीदारी की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। उद्यान एवं केन्द्र परिसर में किसी तरह का नुकसान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधि द्वारा पहुंचाने पर स्वयं ठेकेदार जिम्मेदार होगा । किसी भी अनहोनी घटना के लिये केन्द्र जिम्मेदार नहीं होगा।

12. पौध संरक्षण एवं अन्य जरूरी शस्य कियाएं केन्द्र द्वारा निर्धारित कार्यकम एवं मान दण्डो के अनुसार ही की जावेगी। इसके लिये ठेकेदार द्वारा बताए कार्यो के प्रति केन्द्र बाध्य नही होगा।

13. किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर केन्द्राध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं सर्व मान्य होगा । केन्द्राध्यक्ष को किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा सम्पूर्ण नीलामी प्रकिया को किसी भी अवस्था में बिना कारण बताये रदद् करने का संपूर्ण अधिकार है।

14. सफल बोलीदाता (सील बद लिफाफे के द्वारा) के पास जी. एस.टी /पैन नम्बर/बैक खाता /आधार कार्ड की छाया प्रति बन्द लिफाफे में दी गई दर के साथ संलग्न करना अनिवार्य है (छाया प्रति संलग्न करें)।

15. पूर्व में किसी भी सरकारी कार्यालय में बोली लगाने वाले ठेकेदार ही इस केन्द्र पर बोली लगा सकेगें।

16. खुली नीलामी के संबंध में दिनाक 01.10.2022 को केन्द्र के व्याख्यान कक्ष में दोपहर 3.00 बजे रखी गई बैठक में ठेकेदार सम्मिलित हो सकते है।

17. नीलामी 60 दिन की अवधि के लिये मान्य होगी।

18. निविदा से संबंधित यह जानकारी वेबसाईट : www.cswcrtiweb.org पर भी देखी जा सकती है तथा अन्य शर्ते मौके पर सुना दी जायेगी।

केन्द्राध्यक्ष

भा. कृ. अनु. प., भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ,
अनुसंधान केन्द्र, कोटा – 324002 (राजस्थान)

कंमाक:–**1(45)/SOFP-02/2022-23 /S&P/** दिंनाक 15.09.2022

:: खुली नीलामी (सील बन्द लिफाफे के द्वारा) ::

इच्छुक ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि इस केन्द्र के अनुसंधान प्रक्षेत्र में दिंनाक 05.10..2022 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रक्षेत्र क्षेत्र में स्थित 200 आंवले के वृक्षो में लगे हुए फलो की खुली नीलामी (Open auction) प्राप्त होने वाले सील बन्द लिफाफे मे अंकित राशि के अनुसार की जायेगी। जिसके लिये रू. 10,000/– पंजीकरण राशि का डिमान्ट ड्राफट OIC, CSWCRTI, Kota के नाम से सील बन्द लिफाफे के साथ जमा कराना होगा । फलो को वृक्षो से तोडकर ले जाने की समयावधि माह फरवरी, 2023 तक होगी। निविदा से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी वेबसाईट : www.cswcrtiweb.org पर से प्राप्त की जा सकती है ।

केन्द्राध्यक्ष